तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम की तामील हुक्म की तारीख में जारी
	151 व्य०प्र०सं० पूर्व दिनांक 17-1.22 को पेश किया जिसे शा-प०दिया गया। प्रा पत्र मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी सं. 599 व 600 की पश्चिम दिशा मे नियत है किन्तु उक्त प्रा पत्र मे आराजी नं० 600 की जगह टंकण त्रुटि व सेहवन से आराजी मे 560 अंकित कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जाकर आराजी मे 560 के स्थान पर आराजी नं 600 लालस्याही से अंकित किया जावे। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 R17 व धारा 151 व्य०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है, प्रार्थीगण के प्रा-पत्र मे आराजी सं. 560 के स्थान पर आराजी सं. 600 लालस्याही से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 24.2.22 को पेश हो।	
24.2.22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा-का अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 598 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि ग्राम चांदरास पटवार हल्का चांदरास तहसील माण्डल मे स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 13 की आराजी नं० 600 रकबा 0.2656 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 599 रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि मे से पश्चिमी, दक्षिणी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये की दरख्वास्त की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील	

प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार मांडल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए रा.का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत:

: : आदेश : :

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम चाँदरास परवार हल्का चांदरास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 598 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है, एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि आने जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 13 की आराजी नम्बर 600 रकबा 0.2656 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 599 रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि की पश्चिम, दक्षिण दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 15 फीट चौड़ाई के रास्ते के रूप मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी से. 01 लगायत 11 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible]	[illegible]
	नक्शे मे तरमीम किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	